राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति

(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1329-83 दिनांक : 12-06-2015

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को 11:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/ प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
  - क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, अलवर
  - उप नगर नियोजक, उदयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर),
  - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
  - सहायक नगर नियोजक, जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	97
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	85
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने	11
04.	निगरानी अपील का निस्तारण	1

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 29.12.2014 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की इस बैठक में प्रथम बार भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण जी.आई.एस. तकनीक के माध्यम से ऑनलाईन सैटेलाईट ईमेज पर मास्टर प्लान व आवेदित स्थल को सुपर इम्पोज कर किया जा रहा है, ताकि मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही सभी नगर पालिकाओं के अधिकारियों को इस तकनीक को अपनाने/सीखने पर जोर दिया गया। समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु निम्नानुसार नगरीय निकायों को सामान्य निर्देश प्रदान किये गये कि:–

(i) सभी नगरीय निकायों में लम्बित भू-उपयोग परिवर्तन तथा भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय बुधवार को स्थानीय स्तर पर बैठक का आयोजन सुनिश्चित् किया जावे एवं इन दिवसों में अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस पर इस बैठक का आयोजन किया जावे, ताकि आम नागरिको के कार्यों के निस्तारण के साथ-साथ नगरीय निकायों की राजस्व आय में भी वृद्धि हो सके। सप्ताह में स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जावेगी।

(ii) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रत्येक माह में की जावेगी।

(iii) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन शुल्क का प्रावधान तो है, किन्तु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः इस हेतु पृथक से प्रस्ताव तैयार किया जावे।

(iv) समस्त नगरीय क्षेत्रों हेतु बनाये गये मास्टर प्लान क्षेत्र का सैक्टर प्लान तैयार किया जावे विशेषतया परिधि नियंत्रण क्षेत्र में सैक्टर रोड नैटवर्क प्लान बनाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं समिति में लिये गये निर्णयों के तहत् प्रस्तावित सड़को की मौके पर पालना सुनिश्चित् की जावे।

(v) समस्त आवासीय/शैक्षणिक/औद्योगिक उपयोग में ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज निस्तारण एवं वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट व रीसाइकलिंग की व्यवस्था व आगन्तुको हेतु शौचालय की निर्माण की पालना सुनिश्चित् की जावेगी साथ ही बायो – टॉयलेट, एल.ई.डी., लाईटिंग एवं सोलर लाईटिंग के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जावेगा।

(vi) नयी विकसित होने वाली आवासीय योजनाओं के सड़को पर पैदल चलने वालो हेतु फुटपाथ व साईकिल ट्रेक की व्यवस्था सुनिश्चित् की जावेगी।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण संलग्न है। उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार से अनुमोदित है।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/14/1329-83 दिनांक : 12-6-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/14//1329-83 दिनांक : 12-06-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं डूंगरपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रतनगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1331-1338 दिनांक : 15/6/15

वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अजमेर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषयः–नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

15/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1339-1389 दिनांक : 15/6/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं डूंगरपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रतनगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

15/06/2015
(आर..के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को सभागार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	नाम निकाय
1.	श्री पुरूषोत्तम बियानी	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
2.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
3.	एस.एल. सेठी	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर
4.	ओ.पी. पारीक	वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर
5.	एस. ~~दनबते~~ ऽण्डवते	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
6.	शशिकान्त	वरिष्ठ नगर नियोजक, अलवर
7.	अरविन्द सिंह कानावत	उप नगर नियोजक उदयपुर जोन
8.	मुकेश जांगिड़	सहायक नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
9.	सुनिल चौहान	सहायक नगर नियोजक, जोधपुर
10.	सुरेश कुमार जैन	सहायक नगर नियोजक, न.प. बून्दी
11.	भूपेन्द्र कुमार	सहायक नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
12.	श्रवण बिश्नोई	कमिश्नर,नगर परिषद, हनुमानगढ
13.	प्राहलाद रवि वर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. कपासन
14.	दिलीप शर्मा	आयुक्त, गंगापुर सिटी
15.	मोहन चन्द बंसल	आयुक्त, न.प. दोसा
16.	राम सिंह पालावत	न.प. पाली
17.	ओम प्रकाश शर्मा	न.पा. रतनगढ़
18.	ललित सिंह देया	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. निम्बाहेड़ा
19.	पूजा मीणा	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, फुलेरा
20.	रविन्द्र जैन	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. रायसिंहनगर
21.	भसमा राम जैन	कमिशनर एच.पी. डीपीआर
22.	गुरदीप सिंह	अधिशाषी अधिकारी न.पा पीलीबंगा
23.	नरेश कुमार राठोर	अधिशाषी अधिकारी, बेंगू
24.	करणी सिंह सौदा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. आमेट
25.	आलोक चौधरी	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सादुलशहर
26.	अजय सिंह ढाकड़	सहायक अभियन्ता, नगर पालिका, रावतसर
27.	दीपक मीणा	सहायक अभियन्ता, नगर निगम, नाथद्वारा
28.	ममता नागर	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. शाहपुरा
29.	हरिनारायण यादव	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सांभर
30.	नवरतन शर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. चाकसू
31.	सोहनलाल	न.पा. श्रीकरणपुर
32.	शैलेन्द्र गोयल	न.पा. पदमपुर
33.	रूपसिंह चौहाण	एलडीसी, न.प. राजसमन्द
34.	सोम मिश्रा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा, सादड़ी
35.	नारायण दान	सहायक अभियन्ता, न.पा. सोजत
36.	जगदीश लाल	एलडीसी, न.पा. सोजत
37.	मोहन सिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक, न.पा. बड़ी सादड़ी
38.	गणपत लाल खटीक	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. गंगापुर (भीलवाड़ा)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 11/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	नगर परिषद, हनुमानगढ
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	नगर परिषद, हनुमानगढ के स्वामित्व की 785.12 वर्गमीटर भूमि
3.	क्षेत्रफल	785.12 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	वाणिज्यिक
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 (Extended) में आवासीय दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 (Extended) लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि नगर परिषद का पुराना उप कार्यालय था। वर्तमान में मौके पर भूमि रिक्त है। प्रश्नगत स्थल हनुमानगढ़ जंकशन में भगतसिंह चौक की पश्चिम दिशा में 100 फीट चौड़ी मुख्य सड़क से लगभग 100 से 150 फीट अन्दर 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचनाटाईम्स ऑफ इण्डिया एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र (पृष्ठ 15–16/सी) पर दिनांक 15.12.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 23.01.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के तहत् प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड नगर पालिका की सम्पत्ति है तथा पुराने शहर के मध्य स्थित है एवं वर्तमान में भूमि रिक्त है तथा किसी प्रकार की उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। चूंकि आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क आवश्यक है किन्तु मौके पर सड़क को 60 फीट किया जाना सम्भव नहीं है। भूखण्ड की स्थिति एवं नगर परिषद की राजस्व प्राप्ति को देखते हुये परिषद हित में आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि 40 फीट सड़क पर स्थित है। अतः मौके पर 40 फीट सड़क की सुनिश्चित्ता की जानी होगी।
2. भूखण्ड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. भवन में पार्किंग हेतु नियमानुसार समुचित प्रावधान किया जावेगा।
4. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
5. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 12/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्री सुनील कुमार, श्री अरूण कुमार पिसरान, श्रीजुगल किशोर एवं श्री अनिल कुमार, श्री जय प्रकाश गोयल पिसरान, श्री कानचन्द
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम हनुमानगढ के चक 50 एनजीसी पत्थर नं. 133/248 मु.नं. 06 के किला नं. 10/0.038, 11/0.253, 20/0.202, 9/0.253, 10/0.215,
3.	क्षेत्रफल	0.961 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	थोक व्यापार, भण्डार एवं गोदाम क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आद्यौगिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 (Extended) में थोक व्यापार, भण्डार एवं गोदाम हेतु दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 (Extended) लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि हनुमानगढ से सांगरिया सड़क से नीचे दक्षिण दिशा में प्रश्नगत स्थल तक सैक्टर प्लान अनुसार 80 फीट चौड़ी सैक्टर सड़क पर स्थित है। स्थल के समीप ही केनाल गुजर रही है तथा मास्टर प्लान में उक्त भूमि से लगते हुये उत्तर दिशा में उद्योगिक भू–उपयोग दर्शाया गया है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र (पृष्ठ 27–28/सी) पर दिनांक 20.08.14 एवं 02.09.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में थोक व्यापार, भण्डार एवं गोदाम क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 04.12.14 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का थोक व्यापार, भण्डार एवं गोदाम क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का थोक व्यापार, भण्डार एवं गोदाम क्षेत्र से आद्यौगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। भूमि के उत्तर में भी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग दर्शाया गया है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के थोक व्यापार, भण्डार एवं गोदाम क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल 80 फीट चौड़ी सैक्टर रोड पर स्थित है। अतः सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट कायम किये जाने हेतु सड़क के केन्द्र से 40 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
2. आवेदित स्थल के दक्षिण में एन.जी.सी. केनाल गुजर रही है। अतः केनाल की सुरक्षा व स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
3. उद्योग स्थापित किये जाने से पूर्व उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।
4. भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
5. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
6. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
7. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 13/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री नौरंग राय, इन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीनदयाल, राजकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल, श्रीमती रजनीबाला पत्नि श्री प्रवीण कुमार जरिये मुख्त्यारआम श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बिशनदास जाति अरोडा निवासी हनुमानगढ टाउन।
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 48 NGC तहसील हनुमानगढ के पत्थर नं. 131/263 (37) किला नं. 21/0.253, पत्थर नं. 131/264 (40) किला नं. 1/2/0.228, 2/0.253, 3/0.253, 4/1/0.048, 7/1/0.073, 8/0.253, 9/2/0.240, 10/1/0.051, 10/2/0.064 पत्थर नं. 131/264 (40) किला नं. 1/1/0.025, 9/1/0.013, 10/3/0.138, पत्थर नं. 130/263 (37) किला नं. 25/2/0.103
3.	क्षेत्रफल	कुल तादादी 1.99 हैक्टेयर (19950 वर्गमीटर)
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	वृक्षारोपण पट्टी, परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	वाणिज्यिक
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर पालिका, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–**	

1. प्रश्नगत स्थल हनुमानगढ के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 (Extended) में वृक्षारोपण पट्टी, परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में आरक्षित है तथा भूमि किशनगढ से सीतापुरा जाने वाली सडक मेगा हाइवे पर स्थित है। प्रकरण में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियंत्रण क्षेत्र से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :–
   प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूमि किशनगढ से सीतापुरा जाने वाली सडक मेगा हाइवे पर स्थित है। तथा हाईवे कॉरीडोर के 500 मीटर के अन्दर स्थित है तथा आस–पास में पूर्व पेट्रोल पम्प, मेरिज गार्डन आदि व्यवसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी है। अतः प्रकरण में विचार–विमर्श पश्चात् आवेदित भूमि चक 48 NGC तहसील हनुमानगढ के पत्थर नं. 131/263 (37) किला नं. 21/0.253, पत्थर नं. 131/264 (40) किला नं. 1/2/0.228, 2/0.253, 3/0.253, 4/1/0.048, 7/1/0.073, 8/0.253, 9/2/0.240, 10/1/0.051, 10/2/0.064 पत्थर नं. 131/264 (40) किला नं. 1/1/0.025, 9/1/0.013, 10/3/0.138, पत्थर नं. 130/263 (37) किला नं. 25/2/0.103 (क्षैत्रफल 19950 वर्गमीटर) हनुमानगढ के मास्टर प्लान–2016 में वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियंत्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :–

- प्रश्नगत भूमि किशनगढ से सीतापुरा जाने वाली सडक मेगा हाइवे पर स्थित है। मेगा हाईवे की निर्धारित चौडाई 100 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। योजना के ले–आउट प्लान से वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि छोडी जावेगी।
- भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
- भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
- भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
- बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा निर्णय की शर्त संख्या 1 के संबंध में निवेदन किया है कि पूर्व में भी राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में अन्य प्रकरणों में वृक्षारोपण पट्टी से ही आवासीय एवं वाणिज्यिक (मैरिज गार्डन) पेट्रोल पम्प हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। यह वृक्षारोपण पटटी घग्घर नदी के किनारे–किनारे मास्टर प्लान में प्रस्तावित थी। चूंकि घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र राज्य सरकार

	द्वारा व मौके पर भी 700 से 750 मी. आगे खिसका दिया गया है। किशनगढ़ से सीतापुरा जाने वाली मैगा हाईवे के किनारे कोई भी वृक्षारोपण पट्‌टी नहीं है और न ही पहले किये गये भू–उपयोग परिवर्तन में किसी भी निर्णय में छुड़वाई गई है। 3. पत्र के कम में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक कमांकः 76/2007 दिनांक 22.12.2007 तथा बैठक कमांकः 85/2008 दिनांक 09.07.2008 में कमशः पेट्रोल पम्प एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन वृक्षारोपण पट्‌टी से ही किया गया था तथा वृक्षारोपण पटटी भूमि नहीं छुड़वायी गयी थी। 4. नगर परिषद द्वारा भी परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्‌टी से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया था।
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर पूर्व में अन्य प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक कमांकः 76/2007 दिनांक 22.12.2007 तथा बैठक कमांकः 85/2008 दिनांक 09.07.2008 में कमशः पेट्रोल पम्प एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन वृक्षारोपण पट्‌टी से ही किया गया था तथा वृक्षारोपण पटटी भूमि नहीं छुड़वायी गयी थी। अतः अन्य प्रकरणों के समान ही विषयाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में लिये गये निर्णय की शर्त संख्या 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। 1. प्रश्नगत भूमि किशनगढ से सीतापुरा जाने वाली सडक मेगा हाइवे पर स्थित है। मेगा हाईवे की निर्धारित चौडाई 100 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा बैठक में उपस्थित आयुक्त नगर परिषद, हनुमानगढ़ एवं क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक के प्रतिनिधि सहायक नगर नियोजक से प्रकरण के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। आयुक्त, नगर परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वृक्षारोपण पट्‌टी घग्घर नदी के किनारे–किनारे मास्टर प्लान में प्रस्तावित की गई थी तथा घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारण किये जाने के पश्चात् मौके पर तद्नुसार 700 से 750 मी. आगे की ओर निर्धारित किया गया है। पूर्व में इस प्रकार के समान प्रकरणों में किसी तथ्य के आधार पर भू–उपयोग परिवर्तन की बैठक कमांकः 85/2008 दिनांक 09.07.2008 में कमशः पेट्रोल पम्प एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। अतः विषयाधीन प्रकरण में भी तद्नुसार ही निर्णय लिया जाना उचित होगा। आयुक्त नगर परिषद, हनुमानगढ़ एवं क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक के प्रतिनिधि सहायक नगर नियोजक द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में सहमति व्यक्त की गई तथा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मैगा हाईवे के मार्गाधिकार (100 फीट) में आने वाली भूमि का निःशुल्क समर्पण किया जावेगा तथा वृक्षारोपण पट्‌टी के संबंध में उक्त वर्णित बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार समान प्रावधान रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आयुक्त नगर परिषद, हनुमानगढ़ एवं क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा दी जा चुकी है। अतः उक्त अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 14/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्री बृज लाल पुत्र श्री रामजीदास
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक नं. 49 एन.जी.सी. पत्थर नं. 128/264 किला नं. 17/0.177, 18/2/0.228, 23/0.228, 24/0.253, 25/0.127 कुल 1.013 है0
3.	क्षेत्रफल	1.013 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	केन्द्रीय बस स्टेण्ड
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यवसायिक
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 (Extended) में केन्द्रीय बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 (Extended) लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल हनुमानगढ टाउन से हनुमानगढ जंक्शन की मास्टर प्लान की विद्यमान 100 फीट चौडी मुख्य सडक पर पश्चित दिशा में स्थित है। मौक पर भूमि रिक्त है। एवं मुख्य सडक होने के कारण इस सडक पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। हनुमानगढ का मास्टर प्लान वर्ष 1996 में तैयार किया गया था व अभी तक बस स्टेण्ड हेतु कोई कार्यवाही नही की गई है। राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक संख्या 88 दिनांक 12.08.2008 में सडक के मध्य से 75 फीट भूमि छोडकर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया था।
   हनुमानगढ जंक्शन व टाउन में पूर्व में दो बस स्टेण्ड संचालित हो रहे है तथा राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा अपने डिपो स्थल पर भी बस स्टेण्ड बनाने का प्रावधान कर रखा है तथा उनके पास भूमि उपलब्ध है। मास्टर प्लान–2016 में बस स्टेण्ड के लिए जो आरक्षित भूमि लगभग 96 बीघा है, जिसमें से पूर्व में राज्य सरकार द्वारा एस.एल.सी. की 88वीं बैठक दिनांक 12.08.08 को 5 बीघा भूमि का पूर्व में बस स्टेण्ड से आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन किया गया व मुख्य सडक पर 20 गुणा 40 फुट का एक व्यवसायिक दुकान का भू–उपयोग परिवर्तन हो चुका है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भाष्कर एवं सीमा सन्देश दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 13–14/सी) पर दिनांक 06.09.13 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 20.02.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।
अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के केन्द्रीय बस स्टेण्ड से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल हनुमानगढ टाउन से हनुमानगढ जंक्शन की मास्टर प्लान की विद्यमान 100 फीट चौडी मुख्य सडक पर पश्चित दिशा में स्थित है किन्तु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक संख्या 88 दिनांक 12.08.2008 में सडक के मध्य से 75 फीट भूमि छोडकर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया था। अतः सडक के केन्द्र से 75 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
2. भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त प्रकरण में अतिरिक्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने की शर्थ के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 15/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति लिक्ष्मा देवी पत्नि श्री नन्दराम
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक नं. 12 एच.एम.एच. पत्थर नं. 144/281 किला नं. 03, 04 कुल तादादी 0.430 है0
3.	क्षेत्रफल	0.430 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।

7. प्रकरण के तथ्य :–

1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 (Extended) में परिधि नियन्त्रण क्षैत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 (Extended) लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत स्थल हनुमानगढ से रावतसर मेगा हाईवे पर स्थित कोहला ग्राम की पूर्वी दिशा में मेगा हाईवे से लगभग 7.5 से 8 मुरब्बे की दूरी पर स्थित है। इस क्षैत्र का सेक्टर रोड नेट वर्क प्लान बना हुआ है। स्थल के दोनो तरफ ढाका पोलोटेक्निक कॉलेज, गर्वमेन्ट स्कूल, टाईम्स कॉलेज आदि व सर्राफ इन्जिनियरिंग कॉलेज स्थित है तथा कुछ आवासीय निर्माण भी है। आवेदित स्थल मौके पर लगभग 25 फीट राजस्व रास्ते पर स्थित है। सेक्टर प्लान अनुसार सडक की चौडाई 80 फीट प्रस्तावित है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 15–16/सी) पर दिनांक 13.05.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 10.12.14 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. प्रस्ताव :–

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल मौके पर लगभग 25 फीट राजस्व रास्ते पर स्थित है। राजस्व रास्ते की चौडाई सेक्टर प्लान अनुसार 80 फीट प्रस्तावित है। सडक के केन्द्र से 40 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा।
2. प्रार्थी द्वारा ग्रुप हाऊसिंग (आवासीय प्रयोजनार्थ) भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भवन के भवन मानचित्र सक्षम स्तरीय समिति से प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 16/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति धन्नी देवी पत्नि श्री बनवारी लाल अग्रवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम हनुमानगढ के चक 48 एनजीसी पत्थर नं. 131/264 किला नं. 15/2/0.151 हैक्टर यानि 1510 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.151 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :-**

1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 (Extended) में आवेदित भूमि वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 (Extended) लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रस्तावित भूमि मेगा हाईवे हनुमानगढ टाउन-सतीपुरा रोड 100' फुट पर स्थित है। उक्त रोड पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही है। आवेदित भूमि के आस-पास पूर्व में एस.एल.सी. की बैठक संख्या 76 दिनांक 02.12.07 व 85 दिनांक 09.07.08 में घग्घर नदी के किनारे-किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण पट्टी से वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा चुकी है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 150 फीट प्रस्तावित है, किन्तु पूर्व में एस.एल.सी. की बैठक संख्या 76 दिनांक 02.12.07 व 85 दिनांक 09.07.08 एवं प्रथम बैठक दिनांक 29.12.14 में आस-पास के विकास एवं आयुक्त की अभिशंषा के दृष्टिगत 100 फीट चौडा मार्गाधिकार कायम किया गया है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना सीमा सन्देश एवं दैनिक भाष्कर समाचार पत्र (पृष्ठ 12-13/सी) पर दिनांक 17.07.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियंन्त्रण क्षैत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 12.12.14 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :-**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि को वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-

1. आवेदित स्थल मौके पर हनुमानगढ से सतीपुरा मेगा हाईवे पर स्थित है। मेगा हाईवे की चौडाई 100 फीट निर्धारित की गई है। अतः सडक के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा।
2. प्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भवन के भवन मानचित्र सक्षम स्तरीय समिति से प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 17/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/हनुमानगढ

	शहर कस्बे का नाम	हनुमानगढ
1.	आवेदक का नाम	श्री सोहन लाल पुत्र श्री हरलाल जाति स्वामी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 50 एनजीसी के पत्थर नं. 133/247 के किला नं. 8/0.025, 13/0.240, 18/0.253, 23/0.253, 24/0.253
3.	क्षेत्रफल	1.024 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2016 (Extended) में आवेदित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2016 (Extended) लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल हनुमानगढ से सांगरिया राज्य राजमार्ग पर स्थित है। पूर्व में स्थल के समीप ही एल.पी.जी पम्प हेतु एवं औद्योगिक ईकाइ हेतु सड़क को 100 फीट कायम करते हुये सड़क के केन्द्र से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ी गयी है। अतः सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है। स्थल के आस–पास टाटा मोटर्स शौरुम एवं एल.पी.जी. गैस फिलिंग स्टेशन संचालित है तथा स्थल में से दो विद्युत लाइने गुजर रही है। मौके पर भूमि रिक्त है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भाष्कर समाचार पत्र (पृष्ठ 22–23/सी) पर दिनांक 23.02.15 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ''ब'' में औद्योगिक प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 16.04.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का ओद्योगिक प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का औद्योगिक से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के औद्योगिक से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल हनुमानगढ से सांगरिया राज्य राजमार्ग पर स्थित है। पूर्व में स्थल के समीप ही एल.पी.जी पम्प हेतु एवं औद्योगिक ईकाइ हेतु सड़क को 100 फीट कायम करते हुये सड़क के केन्द्र से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ी गयी है। अतः सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है। अतः सडक के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा।
2. भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 18/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रावतसर

	शहर कस्बे का नाम	रावतसर
1.	आवेदक का नाम	बेसिक शिक्षा समिति रावतसर अध्यक्ष श्री भानसिंह पुत्र श्री रेवत सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रावतसर की प.नं. 166/407 (27) किला नं0 9 की 0.1265 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.1265 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सरकारी कार्यालय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतसर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि रावतसर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.08.12 से लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत स्थल रावतसर से हनुमानगढ को जाने वाले मुख्य सडक के पूर्व दिशा में वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित 60 फीट सडक पर स्थित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतसर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 37–38/सी) पर दिनांक 28.04.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतसर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 13.03.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का सरकारी कार्यालय क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि सरकारी कार्यालय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के सरकारी कार्यालय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत स्थल रावतसर से हनुमानगढ को जाने वाले मुख्य सडक के पूर्व दिशा में प्रस्तावित 60 फीट सडक पर स्थित है। अतः सडक के केन्द्र से 30' में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी। 2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतसर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 19/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रायसिंहनगर

	शहर कस्बे का नाम	रायसिंहनगर
1.	आवेदक का नाम	श्री बुधराम मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रायसिंहनगर की चक 25 पीएस ए के मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 8 से 15
3.	क्षेत्रफल	1.999 हैक्टयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि रायसिंहनगर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 15.02.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित स्थल रायसिंहनगर से लूपोवाला जाने वाले मुख्य सडक (80 फीट) के दक्षिण में राजस्व रास्ते (16.5 फीट) पर स्थित है। अनुमोदित सेक्टर प्लान अनुसार उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 37–38/सी) पर दिनांक 28.04.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 13.03.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल रायसिंहनगर से लूपोवाला जाने वाले मुख्य सडक (80 फीट) के दक्षिण में राजस्व रास्ते (16.5 फीट) पर स्थित है। अनुमोदित सेक्टर प्लान अनुसार उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट है। अतः सडक के केन्द्र से 30' में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 20/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पीलीबंगा

	शहर कस्बे का नाम	पीलीबंगा
1.	आवेदक का नाम	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री मानक चन्द व अन्य
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 13 पीबीएन मुरब्बा नं. 52 किला नं. 20, 21 व 22 पत्थर संख्या 31/315 की 2304.16 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.23 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	अन्य सामुदायिक सुविधा
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि पीलीबंगा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 04.08.14 से लागू है, जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान अनुसार 120 फीट डब्ल्यू.बी.एम. निर्मित सडक पर स्थित है। स्थल के आस–पास आवासीय विकास हो चुका है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भाष्कर एवं दैनिक तेज दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 19–20/सी) पर दिनांक 29.07.13 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 18.09.14 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि को अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल मास्टर प्लान अनुसार 120 फीट डब्ल्यू.बी.एम. निर्मित सडक पर स्थित है। अतः सडक के केन्द्र से 60 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित किया जावेगा। 2. प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भूमि के भवन/योजना मानचित्र सक्षम स्तरीय समिति से प्रचलित भवन विनियमों एवं टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार कराया जाना होगा। 3. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 4. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 5. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 21/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पदमपुर

	शहर कस्बे का नाम	पदमपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री गजेन्द्र स्वामी पुत्र श्री सही राम स्वामी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 19 बीबी, मुरब्बा नं. 19 किला नं. 24 में से 10395 वर्गफुट
3.	क्षेत्रफल	966.078 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक (होटल)
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि पदमपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.08.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भूमि पदमपुर श्रीगंगानगर सडक से पूर्व की ओर चक 19 बी.बी. की तरफ 60' सेक्टर सडक पर स्थित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 42–43/सी) पर दिनांक 28.01.15 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 21.01.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि 60' सेक्टर सडक पर स्थित है। मौके पर सडक के केन्द्र से 30' भू–पट्टी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी। 2. भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे। 3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 22/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रतनगढ

	शहर कस्बे का नाम	रतनगढ
1.	आवेदक का नाम	श्री रामेश्वर लाल भाटी (ढोली) पुत्र श्री भैरा राम व अन्य।
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रतनगढ के खसरा नं0 869
3.	क्षेत्रफल	5.37 हैक्टर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक–शैक्षणिक
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 102वीं बैठक दिनांक 20.04.10 में समिति द्वारा सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक–शैक्षणिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया था, जिसमें एजेण्डा की समस्त शर्तो में से निम्न शर्त भी अंकित की गई थी।
"उपलब्ध कराये गये खसरा मानचित्र एवं पी.टी. सर्वे मानचित्र के अनुसार आवेदित भूमि को वर्तमान में पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है। गुसन्जी ओरन से शहर को जाने वाली सडक से पूर्व में श्याम बगीची तक 60 फीट चौडी सडक उपलब्ध है एवं इसके आगे 36.89 मीटर तक आवेदित भूमि हेतु 60 फीट चौडी रोड अन्य खातेदार के खसरा नं0 868 से प्रस्तावित की गई है। **राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के अनुसार सम्पर्क सडक की चौडाई 80 फीट निर्धारित है। निर्धारित पहुंच मार्ग के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ द्वारा बैठक के दौरान समिति को अवगत करया कि प्रार्थी द्वारा 80 फीट चौडे पहुँच मार्ग हेतु सम्बन्धित खातेदारों से निःशुल्क समर्पण करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त कर नगर पालिका, रतनगढ में प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसक अनुसार मौके पर 80 फीट चौडी सडक का निर्माण संभव है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक की भूमि के भू–क्षेत्र में किसी प्रकार की सम्पर्क सडक नही होने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा आवेदित भू–क्षेत्र को नजदीकी मुख्य सम्पर्क सडक (गुसन्जी ओरन से शहर को जाने वाली सडक) से जोडने हेतु उपयोग में आने वाली समस्त भूमि का निःशुल्क समर्पण सहमति पत्र सम्बन्धित भू–स्वामियों से निकाय के हित उपलब्ध कराने के पश्चात तथा भू–क्षेत्र तक प्रस्तावित सम्पर्क सडक का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर करवाये जाने के पश्चात ही भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।** उक्त की पालना बाबत अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ को निर्देशित किया गया।"
2. उक्त शर्त के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्णय अनुसार उस स्थान पर 80 फीट चौडी सडक उपलब्ध होना सम्भव नही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.14 को शिथिलता हेतु प्रकरण को प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर यह तथ्य नोट किया गया कि **प्रश्नगत भूमि के आस–पास अन्य कोई वैकल्पिक सडक तथा प्रकरण से सम्बन्धित क्षैत्र हेतु प्रस्तावित सेक्टर प्लान/रोड नेट वर्क आदि की जानकारी उपलबध नही है एवं रतनगढ का नया मास्टर प्लान भी लागू हो चुका है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में सेक्टर प्लान/रोड नेट वर्क प्लान अथवा अन्य योजनाओं से उपलब्ध वैकल्पिक मार्ग आदि की सूचना सहित प्रकरण को स्थानीय स्तर पर व वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन से परीक्षण पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**
3. इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्र दिनांक 04.02.15 द्वारा अवगत कराया कि रतनगढ मास्टर प्लान–2031 में रतनगढ–सरदारशहर एम.डी.आर. 100 फीट चौडी से स्थल की ओर 80 फीट सडक प्रस्तावित है। जिसे नगर पालिका स्तर से कायम किये जाने पर स्थल के लिए 80 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 पर वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया गया। एवं यह तथ्य नोट किया गया कि रतनगढ मास्टर प्लान–2031 में रतनगढ से सरदारशहर को जाने वाली प्रमुख 100 फीट सडक से आवेदित स्थल के उत्तर–पूर्व भाग में से 80 फीट की प्रस्तावित सडक गुजर रही है। तथा वर्तमान में आवेदित स्थल के दक्षिण–पश्चिम भाग से 40 फीट एवं 30 फीट का पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः पहुंच मार्ग की समस्या नही है। तथा 80 फीट प्रस्तावित सडक योजना में से ही गुजर रही है। अतः 102वीं बैठक दिनांक 20.04.10 में वर्णित 80 फीट सडक की सुनिश्चितता की शर्त की पूर्ति होती है। अतः नगर पालिका को मास्टर प्लान–2031 की प्रस्तावित 80 फीट सडक को कायम किये जाने की सुनिश्चितता की शर्त पर प्रकरण में योजना के ले–आउट प्लान के अनुमोदन की नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा सकता है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में से 80 फीट सडक हेतु भूमि निःशुल्क नगर पालिका के हक में समर्पित की जानी होगी।

9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ की अभिशंषा, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की राय के क्रम में प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 23/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रतनगढ

	शहर कस्बे का नाम	रतनगढ
1.	विषयः- रतनगढ़ मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित 24 मी. सड़क रतनगढ़ से घुमानदा को जाने वाली के संबंध में	
1.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. रतनगढ़ नगरीय क्षेत्र में चिरंजी लाल धानुका ट्रस्ट द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। 2. प्रकरण को नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। 3. प्रकरण लगभग 2 वर्षो से विचाराधीन है एवं प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण किया गया कि वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा एवं निदेशालय स्तर पर आवेदित स्थल की मास्टर प्लान में स्थिति भिन्न-भिन्न आ रही है। अतः इस संबंध में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, रतनगढ़ के साथ निदेशालय में चर्चा की गई तथा आवेदित स्थल की मास्टर प्लान में लोकेशन का GIS Technique के साथ परीक्षण किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि उक्त 80 फीट प्रस्तावित सड़क धुमान्दा ग्राम को जाने वाली सड़क पर ही प्रस्तावित किया जाना था, तथापि संम्भवः सहवन से उक्त सडक् को एच.टी. लाईन के नीचे प्रस्तावित किया गया है। 4. उक्त संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर से राय हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांकः बीकेजेड/1120/भूउप/रतनगढ़/604 दिनांक 16.04.2015 द्वारा अवगत कराया कि आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण पश्चात् पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के उत्तर में भूमि से लगते हुऐ 80 फीट सड़क हाईटेशन लाईन के नीचे प्रस्तावित कर दी गई है, जिसका कोई औचित्य प्रतीत न हीं होता है। जबकि प्रश्नगत भूमि ग्राम धुमान्दा को जाने वाली 60 फीट सड़क पर स्थित है। जिसे भविष्य की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए 80 फीट चौड़ा प्रस्तावित कर 200 फीट बाई-पास पर मिलाया जाना उचित होगा तथा हाईटेंशन लाईन के नीचे भविष्य में विकास करते समय नियमानुसार खुला स्थल कायम किया जाना उचित होगा। 5. मास्ट प्लान के अन्दर उक्त धुमान्दा सड़क को मोड़ तक तो दर्शाया गया है, किन्तु आगे जाकर नहीं दर्शाया गया है।	
2.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त समस्त 5 तथ्यों के मद्देनजर यह तथ्य नोट किया गया कि उक्त 80 फीट प्रस्तावित सड़क धुमान्दा ग्राम को जाने वाली सड़क पर ही प्रस्तावित किया जाना था, तथापि संम्भवः सहवन से उक्त सडक् को एच.टी. लाईन के नीचे प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़को के नेटवर्क से दृष्टिगत रखते हुये इतनी कम दूरी पर 60 फीट एवं 80 फीट दो सड़को का विद्यमान होना तकनीकी दृष्टया उचित नहीं है एवं सामान्यतः विद्यमान सड़को से ही मास्टर प्लान में उच्चतर स्तर के मार्गाधिकार की सड़क हेतु प्रस्तावित किया जाता है तथा नगरीय विकास विभगा के परिपत्र क्रमांकः प.18 (44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर के पत्र क्रमांकः RVPN/CE/T & C/Sec./F./D 2455 दिनांक 21.10.2009 अनुसार उच्च क्षमता वाली विद्युत लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर रखा गया है। अतः मास्टर प्लान में हाईटेंशन लाईन के नीचे प्रस्तावित 80 फीट सड़क को विलोपित करते हुये एच.टी. लाईन के नीचे उपरोक्त नगरीय विकास विभाग एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर के पत्र अनुसार कार्यवाही करते हुये धुमान्दा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।	
3.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ की अभिशंषा, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की राय के क्रम में प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा एवं उपरोक्त तथ्यों अनुसार मास्टर प्लान में एच.टी. लाईन के नीचे प्रस्तावित 80 फीट सड़क को मौके पर स्थित ग्रामीण सड़क (घुमान्दा को जाने वाली) के उपर प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा एच.टी.लाईन के नीचे सड़क पर प्रस्तावित भू-उपयोग को तदानुसार ही मौके पर ग्रामीण सड़क (80 फीट) रखा जायेगा। उक्त प्रस्ताव अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र होता है तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग अन्य सामुदायिक सुविधा का ही उप भाग है।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 24/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/सादुलशहर

	शहर कस्बे का नाम	सादुलशहर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति जसपाल कौर पत्नि श्री हरदेव सिंह साकिन
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 2 एसडीएस पत्थर सं. 75/120 मु.नं. 37 कि.न. 16, 17, 18, 23 व 24/1, पत्थर सं. 75/121 मु.नं. 53 कि.नं. 3/1 यथा कुल 0.8856 हेक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.8856 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि सादुलशहर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षैत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.06.11 से लागू है, जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भूमि श्रीगंगानगर से अबोहर जाने वाले स्टेट हाईवे 7–बी पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक की चौडाई 200 फीट प्रस्तावित है। साथ–साथ 100–100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी भी है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर द्वारा दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रो में नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका (पृष्ठ 22/सी) में दिनांक 22.09.13 को एवं सीमा सन्देश (पृष्ठ 28/सी) में दिनांक 23.09.13 प्रकाशित की गई, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 04.04.14 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि श्रीगंगानगर से अबोहर जाने वाले स्टेट हाईवे 7–बी पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक की चौडाई 200 फीट प्रस्तावित है। साथ–साथ 100–100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी भी है। अतः 200 फीट सडक का मार्गाधिकार कायम किये जाने हेतु सडक के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा नगर पालिका के हक में निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। मार्गाधिकार के पश्चात 30 मीटर (100 फीट) मास्टर प्लान के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट–।। दिनांक 25.03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। 2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 25/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/सादुलशहर

	शहर कस्बे का नाम	सादुलशहर
1.	आवेदक का नाम	नगर पालिका, सादुलशहर
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	वार्ड नं0 3
3.	क्षेत्रफल	0.142 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	खुला क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि सादुलशहर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में खुला क्षैत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.06.11 से लागू है, जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भूमि नगर पालिका के वार्ड संख्या 03 सादुलशहर से संगरिया सडक पर सादुलशहर रेल्वे स्टेशन के बाहर, पुलिस थाना के सामन गुजरने वाली सडक पर रेल्वे विभाग की चारदिवारी से चिपते हुए स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 60 फीट प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर द्वारा दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रो में नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भाष्कर (पृष्ठ 11–12/सी) में दिनांक 19.03.15 प्रकाशित की गई, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर द्वारा खुला क्षैत्र से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 17.03.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का खुला क्षैत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि खुला क्षैत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के खुला क्षैत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– अतः उपरोक्त अनुसार प्रकरण में निम्न शर्तों के साथ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दिये जाने पर तकनीकि दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। 1. प्रश्नगत भूमि नगर पालिका के वार्ड संख्या 03 सादुलशहर से संगरिया सडक पर सादुलशहर रेल्वे स्टेशन के बाहर, पुलिस थाना के सामन गुजरने वाली सडक पर रेल्वे विभाग की चारदिवारी से चिपते हुए स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 60 फीट प्रस्तावित है। अतः मास्टर प्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार पालिका स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 2. भूमि रेल्वे सीमा से लगते हुए है। अतः रेल्वे विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जावे। 3. भूखण्ड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 4. योजना में व्यवसायिक भवनों में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 5. योजना में भवनों में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 6. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सादुलशहर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

...विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 26/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पीलीबंगा

	शहर कस्बे का नाम	पीलीबंगा
1.	आवेदक का नाम	श्री ईकबाल पुत्र श्री हरमेल सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 13 पीबीएन मुरब्बा नं. 116/88 पत्थर नं. 33/306 के मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 23 में 0.253 हेक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.253 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि पीलीबंगा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 04.08.14 से लागू है, जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। आवेदित स्थल सूरतगढ से हनुमानगढ को जोडनेवाली 200 फीट चौडी बाई पास के उत्तरी दिशा में ढाबां व गोलूवाला की ओर जाने वाली 80 फीट चौडी सडक पर स्थित है। राजस्व रिकार्ड अनुसार मुख्य सडक के चिपते हुए किला संख्या 24 तथा 25 भी आवेदक के स्वामित्व की ही भूमि है। आवेदक ने उक्त किला संख्या 24 व 25 में से पहुंच मार्ग हेतु मुख्य सडक (80फीट) से आवेदित स्थल तक 60 फीट की सडक कायम करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना सीमा सन्देश एवं दैनिक भोर दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ 25–28/सी) पर दिनांक 30.07.13 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 18.09.14 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार मुख्य सडक के चिपते हुए किला संख्या 24 तथा 25 भी आवेदक के स्वामित्व की ही भूमि है। आवेदक ने उक्त किला संख्या 24 व 25 में से पहुंच मार्ग हेतु मुख्य सडक (80फीट) से आवेदित स्थल तक 60 फीट की सडक कायम करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः 60 फीट सडक हेतु समर्पित भूमि नगर पालिका के हक में रहेगी। 2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 27/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/श्रीकरणपुर

	शहर कस्बे का नाम	श्रीकरणपुर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति बलविन्द्र कौर पत्नि श्री गुरमीत सिंह, श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री छज्जा सिंह व श्री रूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	दी करणपुर जिनिंग एण्ड प्रोसिंग कम्पनी प्रा.लि.
3.	क्षेत्रफल	2.87 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	औद्योगिक
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीकरणपुर के अनुसार वैध है।

7. प्रकरण के तथ्य :–

1. प्रश्नगत भूमि श्रीकरणपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 17.01.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित स्थल मास्टर प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। प्रश्नगत भूमि के सामने पालिका कार्यालय एवं आस–पास आवासीय गतिविधिया संचालित हो रही है। भूमि के उत्तर दिशा में 40 फीट चौड़ी एवं दक्षिण दिशा में 30 फीट चौड़ी सड़क एवं पश्चिम दिशा में 50 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट सड़क पर नगर पालिका द्वारा पूर्व में 40 फीट चौड़ी सड़क रखते हुए पट्टे जारी किये गये है। अतः मौके पर 40 फीट सड़क को प्रस्तावित 60 फीट चौड़ा मार्गाधिकार कायम नहीं किया जा सकता है। स्थल के पश्चिम दिशा में 90 फीट की दूरी पर रेलवे लाईन है। आवेदित भूमि तत्कालीन बीकानेर रियासत समय के जारी पट्टेशुदा भूमि है जिसपर वर्तमान में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं चल रही है तथा प्रार्थी द्वारा आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है। अतः पूर्व सभी निर्माण को ध्वस्त किये जाने का शपथ पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीकरणपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर एवं राजस्थान पत्रिका (पृष्ठ 33–34/सी) पर दिनांक 24.12.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीकरणपुर द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 16.04.2015 द्वारा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में रखे जाने की राय दी गई है।

8. प्रस्ताव :–

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के तहत परीक्षण पश्चात् यह तथ्य नोट कियाग या कि प्रश्नगत भूमि को वर्तमान में विद्यमान 40 फीट सड़क से ही पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। आवेदित स्थल रेलवे सीमा से 90 फीट दूरी पर है। रेलवे की सीमा से 100 फीट की दूरी छुड़ाया जाना आवश्यक है। तथा आवेदित स्थल के पास औद्योगिक गतिविधियां संचालित नहीं हो रही है। अतः मास्टर प्लान में आरक्षित औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के आरक्षित औद्योगिक क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. भूमि के उत्तर दिशा में 40 फीट चौड़ी एवं दक्षिण दिशा में 30 फीट चौड़ी सड़क एवं पश्चिम दिशा में 50 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट सड़क पर नगर पालिका द्वारा पूर्व में 40 फीट चौड़ी सड़क रखते हुए पट्टे जारी किये गये है। अतः 40 फीट सडक की सुनिश्चिता की जानी होगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में अर्फोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी–2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य

	सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 8. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। 9. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 10. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीकरणपुर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 82/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/पदमपुर

	शहर कस्बे का नाम	पदमपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री मुरारी लाल, ओम प्रकाश पित. दूनीचन्द, श्रीमति राजरानी पत्नि श्री रामदित्तामल, पुनम पुत्री रामदित्तामल व यश पुत्र श्री रामदित्तामल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 21 बी.बी. तहसीज पदमपुर के मुरब्बा नं. 17 के मिला नं. 11/0.049, 12/0.233, 13/0.253, 14/0.240
3.	क्षेत्रफल	0.775 हैक्टयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक व आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि पदमपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक व आवासीय में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 08.05.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भूमि पदमपुर से जैतसर को जाने वाली सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक की चौडाई 150 फीट है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नही कराई गई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक व आवासीय से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 27.04.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक व आवासीय से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक व आवासीय से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक व आवासीय से व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. प्रश्नगत भूमि पदमपुर से जैतसर को जाने वाली सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक की चौडाई 150 फीट है। अतः सडक के केन्द्र से 75 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो जारी नही गई है। अतः राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में नियमानुसार आपत्ति सूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किये जाने के उपरान्त ही भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जावेंगे। 3. भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे। 4. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा। 5. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 83/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/सरदारशहर

	शहर कस्बे का नाम	सरदारशहर
1.	आवेदक का नाम	श्री भगवानाराम पुत्र श्री मालाराम मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सरदारशहर के खसरा नं. 501/285
3.	क्षेत्रफल	0.178 हैक्टयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र, वृक्षारोपण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सरदारशहर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि सरदारशहर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 27.03.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भूमि राजकीय राजमार्ग पर स्थित है एवं मास्टर प्लान अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट है। इसके पश्चात् वृक्षारोपण पट्टी है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सरदारशहर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र दिनांक 25.11.2014 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सरदारशहर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 26.12.2014 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**<u>प्रस्ताव</u> :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. प्रश्नगत भूमि राजकीय राजमार्ग पर स्थित है एवं मास्टर प्लान अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट है। इसके पश्चात् वृक्षारोपण पट्टी है। अतः सडक के केन्द्र से 100 फीट में आनेवाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा तथा वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010/पार्ट-।। जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सरदारशहर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 84/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रायसिंहनगर

	शहर कस्बे का नाम	रायसिंहनगर
1.	आवेदक का नाम	श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री हीराराम मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रायसिंहनगर की चक 11 टीके के मुरब्बा नं. 72 के किला नं. 13/2 ता. 20
3.	क्षेत्रफल	1.816 हैक्टयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि रायसिंहनगर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 15.02.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित स्थल रायसिंहनगर से विजयनगर को जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। तथा योजना के आगे 120 फीट मार्गाधिकार प्रस्तावित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.04.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 27.04.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल रायसिंहनगर से विजयनगर को जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 50' में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 85/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रायसिंहनगर

	शहर कस्बे का नाम	रायसिंहनगर
1.	आवेदक का नाम	श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रायसिंहनगर की चक 25 पीएस ए के मुरब्बा नं. 9 के किला नं. 16 ता. 18 व 25
3.	क्षेत्रफल	0.886 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/गौशाला/पौधशाला
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि रायसिंहनगर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/गौशाला/पौधशाला में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 15.02.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि को मुरब्बा संख्या 9 किला संख्या 15 एवं मुरब्बा संख्या 10 किला संख्या 11 ता 15 व 19, 20 पर स्वीकृत निजी आवासीय योजना की 40 फीट सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रायसिंहनगर अनुसार फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/गौशाला/पौधशाला हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनगर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.04.14 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/गौशाला/ पौधशाला से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 27.04.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/गौशाला/पौधशाला से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/ गौशाला/पौधशाला से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के फलोद्यान, डेयरी एवं फार्म/गौशाला/पौधशाला से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि को मुरब्बा संख्या 9 किला संख्या 15 एवं मुरब्बा संख्या 10 किला संख्या 11 ता 15 व 19, 20 पर स्वीकृत निजी आवासीय योजना की 40 फीट सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। अतः 40 फीट सडक की सुनिश्चितता की जावे।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 86/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रायसिंहनगर

	शहर कस्बे का नाम	रायसिंहनगर
1.	आवेदक का नाम	श्री कुलदीप पुत्र श्री सुरजाराम
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रायसिंहनगर की चक 11 टीके के मुरब्बा नं: 65 के किला नं. 11 ता. 20
3.	क्षेत्रफल	1.961 हैक्टयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि रायसिंहनगर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 15.02.12 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित स्थल रायसिंहनगर से विजयनगर को जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। तथा योजना के आगे 120 फीट मार्गाधिकार प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.04.15 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 27.04.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल रायसिंहनगर से विजयनगर को जाने वाली सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 50' में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 89/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/राजगढ (चुरू)

	शहर कस्बे का नाम	राजगढ (चुरू)
1.	आवेदक का नाम	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भादर राम व रणजीत पुत्र श्री मोहनलाल मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम राजगढ (चुरू) के खसरा नं. 2549/1527
3.	क्षेत्रफल	2.5 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ (चुरू) के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि राजगढ (चुरू) नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में सरकारी कार्यालय प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.01.12 से लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग 65 पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार राष्ट्रीय राज मार्ग पर बाई पास प्रस्तावित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है एवं उसके पश्चात वृक्षारोपण पट्टी (100फीट) प्रस्तावित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ (चुरू) द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो जारी नही गई है। अतः राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में नियमानुसार आपत्ति सूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जावे।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ (चुरू) द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 13.03.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का सरकारी कार्यालय क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग 65 पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार राष्ट्रीय राज मार्ग पर बाई पास प्रस्तावित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है एवं उसके पश्चात वृक्षारोपण पट्टी (100फीट) प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 100' में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगी। मार्गाधिकार के पश्चात 30 मीटर (100 फीट) मास्टर प्लान के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट–।। दिनांक 25. 03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ (चुरू) द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो जारी नही गई है। अतः राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में नियमानुसार आपत्ति सूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किये जाने के उपरान्त ही भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जावेंगे।
3. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
4. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
5. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
6. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ (चुरू) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक